पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 8524/2015

सायलान :- बनाम गैरसायलान :-

1. गोमाराम पुत्र हरीराम
2. अर्जुनराम पुत्र हरीराम
3. सांवरराम पुत्र हरीराम
4. भोमाराम पुत्र हरलाल

जातियान-गुर्जर, निवासी-हेमडाई
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

1. किशना पुत्र भागू
   जाति-गुर्जर निवासी-हेमडाई
   तह.-जैतारण (जिला-पाली)
2. तहसीलदार, जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.09.11.2015

उपस्थितः- 1. श्री नितेश चौहान अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 15/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-गुडा हेमडाई, पटवार हल्का-सेवरिया, तहसील-जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1680 रकबा 05-09 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 1681 रकबा 1-08 बीघा, खसरा नंबर 1682रकबा 03-19 बीघा, खसरा नंबर 1683 रकबा 03-14 बीघ, खसरा नंबर 1684 रकबा 01-06 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उपरोक्त हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन गैरसायलान संख्या 01 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन गैरसायलन संख्या 1 झगडालू एवं बदमाश प्रवृति का व्यक्ति हैं, जो किसी न किसी तरीके से सायलान को तंग व परेशान करता रहता हैं एवं उनके कब्जे काश्त में दखलंदजी कर परेशानी पैदा करता है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती हैं। जिसका कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा मौके पर किसी के पास ज्यादा एवं किसी के पास कम हक हिस्सा हैं। लेकिन फिर भी उपभोग उपयोग करते चले आ रहे हैं एवं काश्त करते ले आ रहे हैं। सायलान आज दिन तक बिना किसी बाधा अडचन व रोकटों के काबिज व काश्त चली आ रही हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त आराजी आज दिन तक शामलाति दर्ज होने गैरसायलान संख्या 01 सायलान के साथ उक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से उक्त आराजी का मौके पर बंटवाडा कर रखा हैं। परन्तु कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा हैं। शेष हिस्सा गैरसायलान एवं अन्य सहकाश्तकारों व हिस्सेदारों का है। इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने एवं कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने एवं उसका कानूनन बंटवाडा नहीं होने से सायलान को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं तथा गैरसायान संख्या 01 बदमाश व झगडालू प्रवृति का होने के कारण इस बावत नाजायज फायदा उठाता है एवं सायलान को आये दिन तंग व परेशान कर उनके साथ टन्टा फसाद करता है एवं साथ ही सायान की बोई फसल को नुक्सान कर खुर्द बुर्द करता रहता है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार की परेशानियों से सायलान परेशान है। जबकि गैरसायलान या अन्य किन्हीं अजनबी व्यक्तियों को सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में गैर कानूनी कृत्य करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित अराजी का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडज्ञ नहीं होने से गैरसायलान आये दिन वादी की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी करते है तथा अपनी इच्छानुसार सायलान की कब्जे काश्त की कृषि भूमि दखलंदाजी कर उसकी फसल को नुक्ससान पहुचाते है। उक्त अराजी का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डरस के बंटवाडा नहीं हो रा है। इस कारण प्रत्येक ईंच बईच भूमि पर अधिकार निहित होना का हिस्से से अधिक भमि का मनमर्जी उपयोग जबरदस्ती लेना चाहता हैं तथा सायलान के हक हिस्से की कब्जे काश्त की कृषि में दखलंदाजी पैदा करता रहता हैं एवं गैरसायलान को नुक्सान पहुचाने पर आमादा हैं एवं सायलान द्वारा दी गई खन्दक मेडबंदी को बार बार बिखेर देता हैं व सायलान की बोई हुई फसल में अपने पशुओं लडीयों, बकरियों, भेड आदि को छोडकर फसलों को नष्ट करता देता हैं एवं आये दिन दखलंदाजी करता रहता है। गैरसायसलान सायलान को एलानिया कथन करता है कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेला ही कब्जा कर लेगा तथा अकेला ही काश्त करेगा तथा सायलान की फराल को नष्ट कर नुक्सान कारित करेगा व किसी न किसी तरिके से बाधा अडचन व दखलदांजी पैदा कर सायलान को यहों से बेदखल करने को आमादा है। अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो जाता हैं एवं सायलान को मौके एवं कब्जे काश्त से बेदखल कर देता हैं, तो सायलन को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हैं यदि सायलान की आराजी बिना बंटवाडा कराये गैर कानूनी कृत्य होता, तो सायलान अपने साम्पैतिक एवं खातेदारी अधिकारों से वंचित होगा इसलिए सायलान का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। दिनांक 02/11/2015 को गैरसायलान संख्या 01 द्वारा सायलान को उक्त वर्णित सम्पूर्ण खसरा नंबरान की भूमि में से बेदखल करने एवं काश्त नहीं करने देने का एलानिया कथन करने पर सायलान ने गैरसायलान संख्या 01 से कहा कि – आपसी रजामंदी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाड़ा करवा लेते हैं एवं इसी अनुसार तहसील कार्यालय चलकर आपसी रजामंदी से मौके पर भी बंटवाडा अनुसार भी राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा दर्ज करवा लेते हैं, तो तब गैरसायलान संख्या 01 ने स्पष्ट ईन्कार कर दिया। एवं सायलान को कहा कि – वो धनबल एवं ताकत एवं अपने आपराधिक कृत्यों के आधार पर उसे यहां से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक अधिकार जमा लेगा। यदि गैरसायलान संख्या 01 अपने गैर कानूनी मन्सूबों में कामयाब हो जाता हैं, तो सायान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं सायलान को अपने अधिकरों से महरुम होना पडेगा। मौके पर गैरसायलान संख्याा 01 लडाई झगडे व विवाद करेगा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी एवं अनेकों प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी जिससे सायलान अपने

उपखण्ड अधिकारी
सैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व कब्जे काश्त एवं मौके पर कब्जा के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को उसके हक हिस्से की आराजी से जबरदस्ती बेदखल कर देते है तथा गैरसायलान अपने हक हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होकर काश्त कर लेता है एवं सायलान के कब्जे काश्त की भूमि खुर्द बुर्द कर फसल को नुक्सान कारित करता हैं एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा करता है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है। तब सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1 की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। गै0सा0 संख्या 2 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गै0सा0 संख्या । द्वारा दिनांक 12/12/2015 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं। जबाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि सायलान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं हैं। उक्त आराजी पर गै0सा0 संख्या 1 का कब्जा व काश्त हैं। सायलान ने अपने वाद-पत्र में विवादित आराजी कितनी हिस्से में आती हैं, अंकित नहीं हैं। सायलान का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने के कारण बंटवाड़ा का वाद पेश करने का कानूनी अधिकारी नहीं हैं। विवादित आराजी पर गै0सा0 का पक्का मकान बना हुआ हैं व रहवास कर रहा हैं। विवादित भूमि पर गांव के अन्य लोगों का कब्जा था, तब गै0सा0 संख्या 1 ने कब्जेदारों को मार्केट वेल्यू (दर) की रोकड़ रुपये प्रतिबीघा का देकर अपने कब्जे में ली। विवादित भूमि गै0सा0 की कब्जे काश्त की हैं। इसलिये सायलान गै0सा0 संख्या 1 किसी प्रकार की कोई रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होने से खर्चा खारिज फरमाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाय सुनी गई। वकील सायलान ने जाहिर किया कि उक्त आराजी शामलाती कृषि भूमि हैं। बंटवाड़े का दावा हैं, बंटवाड़ा होने तक कब्जे काश्त के दखलन्दाजी एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील गै0सा0 संख्या 1 ने जाहिर किया कि इनका न हिस्सा हैं न ही कब्जा हैं। जबाब प्रस्तुत किया हैं। बेदखली का वाद पेश करना चाहिए था। मेरे मकान बने हुए है, जीरा की फसल बोई हुई हैं। गै0सा0 संख्या 1 ने यह भूमि अन्य लोगों के कब्जे में थी, हमने उनसे बाजार मूल देकर ली हैं। राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति में सहमत हूँ।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब प्रार्थना पत्र का गहनतापूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। बहस में प्रस्तुत दोनों पक्षों तर्को एवं राजस्व रेकर्ड के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना एवं वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः आंशिक रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–गुडा हेमडाई, पटवार हल्का–रोवरिया, तहसील–जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 1680 रकबा 05–09 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 1681 रकबा 1–08 बीघा, खसरा नंबर 1682रकबा 03–19 बीघा, खसरा नंबर 1683 रकबा 03–14 बीघ, खसरा नंबर 1684 रकबा 01–06 बीघा किस्म बारानी दोयम की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner